

2026/169

निर्दिष्ट
9.3.2026

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
गोरीशंकर बनाम कृष्ण आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 165 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24.02.2026	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्बी किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 09.03.2026 को पेश हो।	
27.2.2026	वकील वकी ने पत्रावली - पत्रावली में पेश करने पर पत्रावली के पेशी में लिखा गया बुलार परिलेन उपरिष्ठा / वकील प्रतिक्रिया किया है जो हाकिम अहकाम आकर राशीनामा पेश किया जिसे बाद तल्बीक आठिल फाइल किया गया पत्रावली क्रमसे इन्टर जकार आठिया 01/03/2026 को पेश हो।	गोरीशंकर कृष्ण आदि पुमोहलुमार गोविन्द
6.3.2026	कलक्टर कोषकन उपस्थितता/PU साठे मयम पत्रावली पत्रावली दिनांक 9.3.2026	अ.मि. बुलार राजु लाल राहुल
9.3.2026	बुलार परिलेन उपरिष्ठा करे जकार पत्रावली उक्त पत्रावली मुकी गरी पत्रावली को आवली कत किया गया पत्रावली पर उपरिष्ठा परिलेन आठिया गरी प्रतिक्रिया के राशीनामा के आठिया पर वाद वकील डिक्ली किया जाता है। पूर्ण लिखल सहित। निर्णय अहकाम के लिखल आकर आठिल फाइल किया जाये। पत्रावली नम्बर के आठिया आकर बाद तल्बीक तल्बीकल जकार फाइल पेश हो।	मुनाप पत्र पत्रावली वादी Chang g. by me Ravansar 27/02/26

